

H 746081 H 746081

॥श्री॥
//विक्रय-पत्र//

व्यवहार मूल्य रूपये 38,51,000/- (अक्षरी रूपये अड़तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) इस विक्रय पत्र के पृष्ठ क्रमांक 06 पर लिखे अनुसार प्राप्त हो गये है ।

बाजार मूल्य रूपये 38,51,000/- पर मुद्रांक शुल्क चुकाया गया ।

मुद्रांक शुल्क रूपये	192550=00
पंचायत मुद्रांक शु.रू.	38510=00
म्यु. मुद्रांक शु.रू.	38510=00
उपकर रू.	4820=00
योग रूपये	274390=00

वास्तु रियलिटी तर्फे पार्टनर श्री सत्यनारायण मंत्री पिता स्व. श्री मोहनलाल मंत्री, पता-475, जवाहर मार्ग इन्दौर म.प्र. तर्फे प्रमाणीकृत मुखत्यार श्री कुणाल पिता श्री ओमप्रकाशजी सैनी, निवासी मोती तबेला, इन्दौर म.प्र.

----- विक्रेता पक्ष

--- और ---

- (1) श्री प्रवीण जैन पिता श्री कांतिलालजी जैन, (PAN - ABJPJ0277C)
 - (2) श्रीमती वर्षा जैन पति श्री प्रवीण जैन, (PAN - ABJPJ0275A)
- दोनो निवासी 6, कांति मेशन, छोटी ग्वालटोली, इन्दौर म.प्र.


----- क्रेता पक्ष

For VASTU REALTY

Sumanjain
Partner

Vaishali Jain

अविरत....2



रसीद दस्तावेज बगैरह

मुकाबला 35

दफ्तर

किस को दी गई

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत

तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा

रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत

1

2

3

4

५५/७
₹ 3851000

₹ 1060

तारीख

10 DEC 2014

उप-पंजीयक

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

82

:2:

विक्रेतापक्ष यह विक्रयपत्र क्रेतापक्ष के हित में निम्न शर्तों एवं दायित्वों के अधीन निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं कि :-

(1) यह कि, विक्रेतापक्ष की मालकी व आधिपत्य की भूमि ग्राम भिचौली मर्दाना पटवारी हल्का नंबर 25 तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. की स्थित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सर्वे नंबर	रकबा
1.	285/1/1/2/1	0-882 हेक्टर
2.	285/1/1/1/1	1-198 हेक्टर
3.	268/3/1/1	0-081 हेक्टर
4.	276/3	0-777 हेक्टर
5.	266/1/3	0-153 हेक्टर
6.	266/1/2/1/1	0-538 हेक्टर
7.	276/2/1/1	0-436 हेक्टर

कुल योग

7

4-065 हेक्टर

For VASTU REALTY

Partner

अविरत.....3


Vaishya Jain

1924
5 DEC 2014

प्रथम पुस्तक निष्कास योजना

28/11/14

वास्तु रिपलटी तर्फे पार्टनर श्री सत्यनारायण पिता स्व. श्री मोहनलाल मंत्री, पता-475, जवाहर मार्ग, इन्दौर की ओर से दस्तावेज क्रमांक 4-अ/193 (2/3) दिनांक 30/05/2014 द्वारा प्रमाणीकृत मुखत्यार क्रमांक 116 अनुसार मुखत्यार श्री कुणाल पिता श्री ओमप्रकाशजी सैनी, निवासी मोती तबेला, इन्दौर



1 श्री कृष्ण मोर कान्हिलाल जैन
श्रीमती वधा पति श्री कृष्ण जैन
6 कान्हिलाल जैन, आदीवाला लाली, इंदौर

आदर्श ज्योशी
- सचिव केन्द्र :-
65, ग्रेटर वैशाखी बाग, इन्दौर (म.प्र.)

जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ
स्वीकार करते हैं कि तथाकथित
..... विवेक का निष्कास किया
गया है और प्रतिफल के पूरे/आंशिक
रु.....
(अंक 385/0000) यहाँ हैं
..... (अंक 0 य
..... में
अर्थात् लाल जैन के द्वारा प्राप्त
यकायम रूप से
यच गर्ह है जो प्राप्त
होगी। आज तारीख

- 1 श्री कृष्ण मोर अक्षयलाल जैन
अहिल्यापुरी, इंदौर
- 2 श्री कृष्ण मोर कान्हिलाल जैन
अहिल्यापुरी, इंदौर

की जाँच पूर्वाक्त निष्पादक/निष्पादकों
..... पर की गई है।


10 DEC 2014

Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 842994

:3:

(2) उपरोक्त भूमि ग्राम भिचौली मर्दाना पटवारी हल्का नंबर 25 तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. की स्थित है। उक्त भूमि विक्रेतापक्ष ने एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये (1) श्री राहुल पटेल पिता श्री राधेश्यामजी पटेल (2) श्री सागर पटेल पिता श्री राधेश्यामजी पटेल (3) श्रीमती निर्मला पटेल पति श्री राधेश्यामजी पटेल (4) श्रीमती अनिता (उर्फ नकवन्ती) पटेल पति श्री सत्यनारायण पटेल, (5) श्री विनोद पटेल पिता श्री सत्यनारायण पटेल, सभी निवासी ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. से क्रय की थी। यह विक्रय पत्र उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर में पुस्तक क्रमांक 1-अ, दस्तावेज क्रमांक 6444 (9) देकर दिनांक 12/01/2012 को पंजीकृत किया हुआ है। उक्त भूमि विक्रेतापक्ष की स्वतंत्र मालकी व कब्जे की होकर रेवेन्यू रेकार्ड्स में विक्रेतापक्ष के नाम पर दर्ज है। विक्रेतापक्ष की भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका क्रमांक एलआई-981480 है।

भूमि की चतुःसीमा :-

पूर्व में :-सर्वे नंबर 287 एवं 286 की भूमि एवं रास्ता है।
पश्चिम में :-सर्वे नंबर 266 एवं 267 की भूमि है।
उत्तर में :-सर्वे नंबर 285 की भूमि है।
दक्षिण में :-सर्वे नंबर 285, 287 एवं 276 की भूमि है।

विक्रेतापक्ष द्वारा उपरोक्त भूमि पर एक आवासीय टाउनशिप वास्तु सिटी रामेश्वरम् विकसित की जा रही है। उक्त टाउनशिप के निर्माण हेतु विक्रेतापक्ष द्वारा सभी शासकीय व अशासकीय विभागों से निम्न अनुमतियाँ प्राप्त की है :-

अविरत.....4

Smanghi

Vashta yam

21925
F 5 DEC 2014

प्रथम पुस्तकालय संलग्न

Kunal Sarin



निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
.....कुशल..... के अंगूठे
का मिलान मेरे पास है.....
को किया गया।

10 DEC 2014

Joshi
उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर-2

आनंद जोशी
-: स्टॉम्प वेण्डर :-
65, प्रेटर सैनाली नगर, इन्दौर (म.प्र.)

Ran



निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
.....रान..... के अंगूठे
का मिलान मेरे पास है.....
को किया गया।

10 DEC 2014

Ran
उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर-2

Vaishya Jain




निष्पादक/.....

को मिलान मेरे पास है.....
को किया गया।

10 DEC 2014

Joshi
उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर-2



Vaishya Jain



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 842995

:4:

ए. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अंतर्गत निर्मित म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1999 के अधीन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, (कलेक्टोरेट) जिला इन्दौर म.प्र. के द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (कालोनाईजर लाइसेंस) श्री भूपेश संघवी के नाम पर जारी किया हुआ है, जिनके द्वारा वास्तु रियलिटी के हित में पंजीकृत आम मुखत्यार निष्पादित किया हुआ है। इस प्रकार विक्रेतापक्ष द्वारा स्वयं के लिये व उक्त मुखत्यार पत्र में प्रदत्त अधिकारो के तहत श्री भूपेश संघवी की ओर से हस्ताक्षर किये जा रहे है। उक्त प्रमाण पत्र जावक क्रमांक 5897/री.ई./का.से./2005 इन्दौर दिनांक 17/10/2005 का है, जिसका रिन्युअल दिनांक 16/06/2011 को कराया गया है।

बी. श्रीमान संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर के विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 889/नगर/12 दिनांक 17/04/2012 के द्वारा भूमि पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किया हुआ है।

सी. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अंतर्गत निर्मित म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1999 के अधीन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, (कलेक्टोरेट) जिला इन्दौर म.प्र. के द्वारा कालोनी विकास की अनुमति अपने पत्र क्रमांक 20/2011 दिनांक 21/03/2012 के द्वारा प्रदान की हुई है।

अविरत.....5

FOR VASTU REALTY

Sumanjmi
Partner

Vaishya gain

21926

5 DEC 2014



cert

[Handwritten signature]



निष्पादक/पालक/अधिकारी
3/1/14 के अंगुठे

का निलान मेरे सम्पत्तिका.....

को किया गया।

[Handwritten signature]

उप-जिला इन्चार्ज-2

10 DEC 2014

आनंदी जोशी
-: स्टॉप वेण्डर :-
65, ग्रेटर वैशाली नगर, इन्दौर (म.प्र.)

cert



[Handwritten signature]



निष्पादक/पालक/अधिकारी
3/1/14 के अंगुठे

का निलान मेरे सम्पत्तिका.....

को किया गया।

[Handwritten signature]

उप-जिला इन्चार्ज-2

10 DEC 2014


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 842996

:5:

डी. श्रीमान संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर के विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 6761/एसपी-515/11 नगानि/11/इन्दौर दिनांक 30/09/2011 के द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु अभिन्यास स्वीकृत किया गया है ।

ई. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर द्वारा सदर भूमि का आवासीय उपयोग के लिये व्यपवर्तन आदेश प्रकरण क्र. 227/अ-2/11-12 दिनांक 16/03/2012 के द्वारा आदेश पारित किया गया है ।

(3) विक्रेतापक्ष द्वारा उनकी मालकी की उपरोक्त सर्वे नंबरों की भूमि पर वास्तु सिटी रामेश्वरम् नामक आवासीय टाउनशिप विकसित की जा रही है । उक्त टाउनशिप के अन्तर्गत विक्रेतापक्ष द्वारा प्लाट्स, रो-हाउस, डुप्लेक्स व बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जाना है । विक्रेता पक्ष इस विक्रय पत्र द्वारा क्रेतापक्ष को भिचौली मर्दाना तहसील व जिला इन्दौर स्थित वास्तु सिटी रामेश्वरम प्रोजेक्ट में प्लाट (रो-हाउस) नंबर 15, जिसका कुल क्षेत्रफल 3432 वर्गफीट याने 318.95 वर्गमीटर है, जिसपर एक आवासीय मकान की नींव (प्लीन्थ) तक का निर्माण कार्य किया हुआ है, (जिसे इस लेख में आगे संक्षिप्त में उक्त सम्पत्ति कहा गया है) विक्रय कर रहे है । उपरोक्त भूखण्ड सर्वे नंबर 266/1/3 व 266/1/2/1/1 की भूमि पर स्थित है । उक्त सम्पत्ति आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग की है । उक्त सम्पत्ति नगर निगम सीमा के क्षेत्र में है । विक्रेतापक्ष ने इस विक्रय पत्र द्वारा उक्त सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति को विक्रय नहीं किया है । उक्त वास्तु सिटी रामेश्वरम ए.बी. रोड, बायपास या किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं होकर भिचौली मर्दाना में अन्दर की ओर हिल व्यू कॉलोनी के पास में स्थित है ।

अविरत....6

Smanghi

Varsha Jain


21927
5 DEC 2014

विद्यार्थी संस्थान

पत्रिका

विद्यार्थी संस्थान

0001.25



आतंदी जोशी

-: स्टॉम्प वेण्डर :-

65, ग्रेटर वैशाली नगर, इन्दौर (म.प्र.)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

S 842997

:6:

उक्त सम्पत्ति की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

- पूर्व में निर्माणाधीन रो-हाउस नंबर 24 है ।
पश्चिम में :-रोड़ है ।
उत्तर में निर्माणाधीन रो-हाउस नंबर 16 है ।
दक्षिण में निर्माणाधीन रो-हाउस नंबर 14 है ।

(4) यह कि, विक्रेता पक्ष ने उक्त सम्पत्ति (जिसका वर्णन चरण क्रमांक 3 में दिया हुआ है) क्रेतापक्ष को रूपये 38,51,000/- (अक्षरी रूपये अड़तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) में सर्वभार मुक्त विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि क्रेतापक्ष से निम्नानुसार लेकर प्राप्त कर ली है :-

- रूपये 1,11,000/- चेक नंबर 008459 दिनांक 16/01/2013
रूपये 6,39,000/- चेक नंबर 011292 दिनांक 15/03/2013
रूपये 7,50,000/- चेक नंबर 513532 दिनांक 26/03/2013
तीनो चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर जयपुर के जरिये प्राप्त ।
रूपये 2,50,000/- चेक नंबर 019772 दिनांक 03/01/2014
रूपये 1,01,000/- चेक नंबर 097517 दिनांक 10/12/2014
रूपये 20,00,000/- चेक नंबर 429683 दिनांक 10/12/2014
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के जरिये प्राप्त ।

योग रूपये 38,51,000/- (अक्षरी रूपये अड़तीस लाख इक्यावन हजार मात्र)

अविरत....7

For VASTU REALTY

Sumanjhi
Partner

Vaishya Jain

21928
5 DEC 2014

प्रमाणपत्र

JAIHOLI NON JAIHOLI

ONE THOUSAND

Rs. 1000



आनंदी जोशी

-: स्टॉम्प वेप्डर :-

65, ग्रेटर वैशाली नगर, इन्डोर (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AE 164018

:7:

इस प्रकार विक्रेता पक्ष को क्रेतापक्ष से उपरोक्तानुसार विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम प्राप्त हो गई होकर अब विक्रेता पक्ष को क्रेतापक्ष से विक्रय प्रतिफल पेटे कोई भी धनराशि लेना शेष नहीं है। विक्रेतापक्ष उक्त सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य इस विलेख के साक्षीगण के समक्ष आज दिनांक को क्रेतापक्ष को दे दिया है। क्रेतापक्ष अब उक्त विक्रय की गई सम्पत्ति को अपनी इच्छानुकूल उपयोग उपभोग एवं अंतरण करने को पूर्णतः स्वतंत्र है।

(5) यह कि, विक्रेता पक्ष से आशय वे स्वयं तथा उनके समस्त उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, आदेशिती, अटार्नीज आदि सम्मिलित है तथा क्रेतापक्ष से आशय स्वतंत्र ग्रहण करने वालो से है।

(6) यह कि, विक्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति सर्वभारमुक्त क्रेतापक्ष को विक्रय कर दी होकर विक्रेतापक्ष ने विधिवत उक्त सम्पत्ति का अंतरण क्रेतापक्ष को कर दिया है। अतएव उक्त सम्पत्ति में विक्रेतापक्ष के जो भी स्वत्व, हित एवं अधिकार थे अथवा रहे है वह समस्त स्वत्व, हित एवं अधिकार इस लेख द्वारा समाप्त हो गये होकर क्रेतापक्ष में वैष्टित हो गये है तथा क्रेतापक्ष उक्त सम्पत्ति को अपनी इच्छानुकूल उपयोग, उपभोग एवं अंतरण करने को पूर्णतः स्वतंत्र है।

(7) यह कि, विक्रेतापक्ष द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति विक्रेतापक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर विक्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति क्रेतापक्ष को सर्वभार मुक्त विक्रय की है तथा उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, उक्त सम्पत्ति पूर्णतः भार रहित है। उक्त सम्पत्ति शासन या किसी विभाग द्वारा अधिग्रहण में ली हुई नहीं है एवं विक्रय में कोई कानूनी अवरोध नहीं है।

(8) यह कि, विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को उक्त सम्पत्ति विक्रय करने के पूर्व क्रेतापक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी से उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में विक्रय का कोई अनुबंध नहीं किया है और न उक्त सम्पत्ति किसी को दान या बक्षीस में दी है और न किसी का उक्त सम्पत्ति पर जीवन निर्वाह आदि का कोई भार है।

अविरत....8

Sumanjini

Vaishu Jain

21929

F R DES 2118

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

HUNDRED RUPEES


INDIA

JUDICIAL

अमृतजीoshi

--: स्टॉप वेपडर :-

65, ग्रेटर वैशाली नगर, इन्चौर (म.प्र.)



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AE 164019

:8:

(9) यह कि, उक्त सम्पत्ति विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को विक्रय द्वारा अंतरित कर दी होने से उक्त सम्पत्ति पर जहां जहां आवश्यक होवे क्रेतापक्ष स्वामी के रूप में अपना नाम चढवा लेवे एवं इस हेतु यह विक्रय पत्र विक्रेतापक्ष की सहमति माना जावेगा, फिर भी विक्रेतापक्ष से सहयोग की जहां जहां आवश्यकता होगी विक्रेतापक्ष अपना पूर्ण सहयोग क्रेतापक्ष को देवेगे एवं क्रेतापक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं होने देवेगे ।

(10) यह कि, क्रेतापक्ष इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त सम्पत्ति में लगे संयोजन, आदि पर अपना नाम म.प्र. शासन के संबंधित विभागों में ग्राम पंचायत क्षेत्र एवं अन्यत्र जहां जहां आवश्यक होवे अपना नाम चढवा लेवे जिसमें यह विक्रय पत्र विक्रेतापक्ष की सहमति माना जावेगा ।

(11) यह कि, क्रेतापक्ष को मेन्टेनेंस राशि विक्रेतापक्ष/अधिकृत मेन्टेनेंस, सोसायटी मेन्टेनेंस एजेन्सी को चुकाना अनिवार्य होगा । कोई भी मेन्टेनेंस की राशि (फिक्स या मासिक) नहीं देने की दशा में विक्रेतापक्ष/सोसायटी/मेन्टेनेंस एजेन्सी को क्रेतापक्ष का बिजली व पानी सप्लाय काटने का अधिकार रहेगा । उक्त सम्पत्ति को भविष्य में विक्रय करने के पूर्व विक्रेतापक्ष/अधिकृत मेन्टेनेंस सोसायटी से एन.ओ.सी.प्राप्त करना अनिवार्य होगा । मेन्टेनेंस हेतु क्रेतापक्ष को इस विक्रयपत्र पंजीयन के अलावा पृथक मेन्टेनेंस कान्ट्रेक्ट भी हस्ताक्षर करना होगा तथा पृथक मेन्टेनेंस कान्ट्रेक्ट के सभी नियम भी क्रेतापक्ष पर लागू होंगे ।

For VASTU REALTY

अविरत....9

Manoj
Partner

Vaishya jain

21930


5 DEC 2016

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

आरंभ जोशी

:- स्टॉप देण्डर :-

65, ग्रेटर वेस्टर्नी गंवार, इंदौर (म.प्र.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AE 164020

:9:

(12) यह कि, इस विक्रयपत्र के निष्पादन एवं पंजीयन का समस्त व्यय क्रेतापक्ष द्वारा वहन किया गया है।

(13) यह कि, इस विक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व उक्त सम्पत्ति पर देय समस्त कर, डायर्वशन, पंचायत उपकर, रहवासी संघ का ड्युज का टेक्स, शास्ति आदि को चुकाने का दायित्व एकमात्र विक्रेतापक्ष का होगा तथा निष्पादन के पश्चात समस्त कर आदि चुकाने के लिए क्रेतापक्ष उत्तरदायी रहेंगे। यदि इस विक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व के संबंध में उक्त सम्पत्ति पर देय कोई कर, शास्ति आदि क्रेतापक्ष को चुकाना आवश्यक हो जावे तो वह राशि क्रेतापक्ष को विक्रेतापक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होवेगा।

(14) यह कि, विक्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति को कहीं भी किसी भी संस्था में दान, गिरवी नहीं रखी है। संक्षेप में उक्त सम्पत्ति सर्वभारमुक्त है।

(15) यह कि, विक्रय के सम्बंध में विक्रेतापक्ष के स्वत्व, हित एवं अधिकारों में किसी प्रकार का स्वत्व दोष पाया जावे जिसमें क्रेतापक्ष के हितों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे तो क्षति पूर्ति का दायित्व विक्रेतापक्ष का होगा।

अविरत....10

For VASTU REALTY

Smrati
Partner

Star
Vaishu Jain

21921

5 DEC 2014


आर्ये जोशी

सर्वोप देण्डर :-
65, ग्रेडर देण्डली नगर, कुपीर (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AA 198638

:10:

(16) यह कि, विक्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति के स्वत्व से संबंधित समस्त दस्तावेजों की फोटोप्रति क्रेतापक्ष के उपयोग के लिये दे दी है।

(17) यह कि, यदि भविष्य में विक्रेतापक्ष की ओर से या उनके किसी उत्तराधिकारी की ओर से विक्रय धनराशि कम मिलने या पाने बाबाद उक्त सम्पत्ति सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार का कोई दावा पेश किया जाता है या इस सम्बंध में कोई आपत्ति उठाई जाती है तो वह दावा, झगडा अथवा आपत्ति इस विक्रय पत्र के जरिये अमान्य होकर शून्य रहेगी।

(18) यह कि, विक्रेतापक्ष ने इन्द्रियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में किसी अन्य के रूचि दिलाने या विक्रय करने के लिये उकसाये जाने बगैर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व व अधिकारों, सुखाधिकारों (इसमेंन्ट राईट्स), प्रिविलेजेस के सहित किसी भी स्वत्व व अधिकार को शेष रखे बिना क्रेता को प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर हस्तांतरित की है इस कारण उक्त सम्पत्ति पर विक्रेतापक्ष को सम्पूर्ण अधिकार समाप्त होकर अब उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण अधिकार क्रेतापक्ष में वैधित हो गये है।

(19) यह कि, इस विक्रयपत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द-वाक्य या प्रतिश्रव को भविष्य में और अधिक प्रभावशील बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता पडने पर विक्रेता, क्रेता के लिये निवेदन एवं व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधन पत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन डीड, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, उत्तर आदि के निष्पादन एवं आवश्यकता पडने पर उसको पंजीकृत करवाने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

For VASTU REALTY

Manoj
Partner

Vaishu Jain

अविरत....11

21932
5 DEC 2014

INDIAN JUDICIAL

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIAN JUDICIAL

आमंती जोशी

-: स्वीम वेण्डर :-

65, ग्रेटर कैलासी नगर, इन्दौर (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

20AA 688692

:11:

(20) यह कि, क्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति को देखकर भली भांती समझकर संतुष्ट होकर क्रय किया है तथा अब क्रेतापक्ष को उक्त सम्पत्ति के स्वत्व से संबंधित व निर्माण सामग्री को लेकर विक्रेतापक्ष से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

(21) यह कि, उक्त प्रोजेक्ट में वर्तमान में कन्स्ट्रक्शन का कार्य जारी है अतएव: कन्स्ट्रक्शन को लेकर क्रेतापक्ष कोई आपत्ति नहीं लेवेंगे, किन्तु विक्रेतापक्ष क्रेतापक्ष को यह भी आश्वस्त्य करते हैं कि, कन्स्ट्रक्शन से क्रेतापक्ष को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी/समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे।

(22) यह कि, भविष्य में उक्त प्रोजेक्ट इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर के अंतर्गत समाविष्ट होता है तो उस संबंध में इन्दौर नगर पालिक निगम द्वारा नए करों को आरोपित किया जाता है तो विक्रेतापक्ष को लगने वाले समस्त करों को आनुपातिक रूप से क्रेतापक्ष को चुकाना होगा।

(23) यह कि, उक्त प्रोजेक्ट में लगने वाले समस्त ट्रांसफार्मर एवं बिजली लाईनों को उर्जित करने की जिम्मेदारी विक्रेतापक्ष की रहेगी किन्तु उसका आनुपातिक खर्च क्रेतापक्ष को वहन करना होगा तथा MPPKVV CO.LTD इन्दौर में बिजली कनेक्शन हेतु लगने वाली सुरक्षा राशि एवं एप्लीकेशन फीस जो कि कूपसी (रिफन्डेबल/एडजस्टेबल) योग्य होती है का भुगतान क्रेतापक्ष द्वारा स्वयं को वहन कर डायरेक्टर MPPKVV CO.LTD इन्दौर को करना होगा। क्रेतापक्ष को विक्रेतापक्ष कम्पनी से नो-डयुज लेकर स्वयं के व्यय से स्वयं के नाम पर स्थाई कनेक्शन प्राप्त किया जाएगा।

For VASTU REALTY

Manoj
Partner

अविरत....12

Vaishu Jain

05, 2014 (P.H.)

:-


शुभ

शुभ

21 333
15 DEC 2014

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH :12:

51AA 184739

(24) यह कि, क्रेतापक्ष द्वारा क्रय किये गये विला (बंगला) आदि में किसी भी प्रकार का एलिवेशन अथवा बाहरी कलर को बदलने का अधिकार नहीं होगा। कालोनी में दिए गए कलर को ही मेंटेन करना होगा। यदि रो-हाऊस में संबंधित विभाग से बगैर अनुमति प्राप्त कर सेकण्ड फ्लोर (द्वितीय मंजिल) पर कोई भी नया निर्माण कार्य किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी क्रेतापक्ष की होगी तथा ऐसी परिस्थिति में बाहरी एलिवेशन ना बदले ऐसा क्रेतापक्ष को ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

(25) यह कि, विक्रेतापक्ष एक भागीदारी फर्म है। फर्म की ओर से श्री सत्यनारायण मंत्री पिता स्व. श्री मोहनलाल मंत्री उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु अधिकृत किया गया है।

(26) यह कि, इस विक्रयपत्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22 (क) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(27) यह कि, इस लेख में हाथ से काटे गये व जोड़े गये अंशों को क्रमांक 1 से लगाकर....तक में हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ।

अविरत....13

For VASTU REALTY

Sumanjhi
Partner

Vasishtha Jain

21937

5 DEC 2014

प्रथम पृष्ठ के साथ चलाने

1000
RUPEES

Rs. 10


INDIA
POSTAL

आतंद जोशी

-: स्टॉम्प वेण्डर :-

65, ग्रेटर वैशाली नगर, इन्दौर (म.प्र.)

यह भिचौली मर्दाना तहसील व जिला इन्दौर स्थित वास्तु सिटी रामेश्वरम प्रोजेक्ट में प्लॉट
(रो-हाउस) नंबर 15 का मौका नक्शा ।



Not to Scale

For VASTU REALTY

Sanjiv
Partner

Vaishu Jain

NORTH




10/2019

10 DEC 2014

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

:13:

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

51AA 184740

विक्रेतापक्ष ने पंजीकृत प्रमाणीकृत मुखत्यार पत्र क्रमांक 4-अ/193 दिनांक 30/05/2014 के जरिये श्री कुणाल पिता श्री ओमप्रकाशजी सैनी को अपना आम मुखत्यार नियुक्त किया हुआ है। उक्त मुखत्यार नामा वर्तमान में प्रभावशील होकर इसमें प्रदत्त अधिकारो के अध्यक्षीन श्री कुणाल पिता श्री ओमप्रकाशजी सैनी पंजीयन की शेष कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

आज दिनांक 10/12/2014 को शहर इन्दौर मे विक्रेता पक्ष ने स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक स्थिति मे निम्न साक्षीगण के समक्ष यह विक्रयपत्र स्वेच्छा से क्रेतापक्ष के हित मे निष्पादित कर दिया जो प्रमाण रहे। इति.

साक्षीगण:-

1. Shailesh Jain
S/O Utsavulji Jain
H-S. Ahilyapuri
Indore

हस्ताक्षर-विक्रेता पक्ष

For VAGHU REALTY

Partner

2. SHAILESH JAIN
UTSAV. H-S. AHILYAPURI
INDORE -452001 (M.P.)

मेरे द्वारा प्रारूपित एवं मेरे कार्यालय मे टंकित

पं. देवीप्रसाद शर्मा
एडवोकेट

88/1, मोती तबेला इन्दौर म.प्र.



हस्ताक्षर-क्रेतापक्ष

Vargha yain

Vargha yain

Partner

21935
5 DEC 2014

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

157
RUPEES
Rs. 10

आरंभ जौशी

-: स्टॉम्प वेल्डर :-

65, ग्रेटर वैशाली नगर, इन्दौर (म.प्र.)

10 DEC 2014

आज ता. 10 दिसम्बर 2014
को पुस्तक क्र. 07
ग्रन्थ 604 के 14 पृष्ठ
13-56 पर क्लिपिंग 2019
वेकर प्रंजीयक किया गया।

Paul
उप-प्रंजीयक
उप-जिला, इन्दौर-2



मुद्रांक शुल्क 30810/-
प्रंजीयक शुल्क
पुष्ठांकन शुल्क 2502/-
घरपाना शुल्क
योग 31060/-

Paul
उप-प्रंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 2

